(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 343 नई दिल्ली –27 दिसम्बर 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास में बर्थ सं. 11 और 12 में इसके परिचालन के लिए एबीजी कांडला कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/43/2006–एबीजीकेसीटीएल

एबीजी कांडला कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड —————— आवेदक

आदेश

(नवम्बर, 2010 के 29वें दिन पारित)

यह मामला कांडला पत्तन न्यास में बर्थ सं. 11 और 12 में इसके परिचालनों के लिए एबीजी कांडला कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एबीजीकेसीटीएल) के मौजूदा दरमान (एसओआर) की वैधता का विस्तार किए जाने से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/43/2006–एबीजीकेसीटीएल दिनांक 12 अक्तूबर 2007 द्वारा एबीजीकेसीटीएल में मौजूदा प्रशुल्क अनुमोदित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 211 द्वारा 26 अक्तूबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। संशोधित दरमान आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से तीन वर्षों के लिए निर्धारित वैधता वाले आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी हुआ था। तदनुसार, एबीजीकेसीटीएल का मौजूदा दरमान 25 नवम्बर 2010 तक वैध है।

3.1. प्रशुल्क निर्धारण के लिए मौजूदा दृष्टिकोण/पद्धति के कुछ क्षेत्रों को रिफाइन करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2008 में, इस प्राधिकरण ने अनुच्छेद 5 (i) (क) द्वारा अपेक्षा की थी कि पत्तनों/टर्मिनलों को उस वित्तीय वर्ष के 30 जून तक दरमान के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करना होगा जब संशोधन देय होगा। तदनुसार, एबीजीकेसीटीएल के मौजूदा दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल करने की तारीख 30 जून 2010 थी। उपर्युक्त स्थिति आने पर, एबीजीकेसीटीएल को हमारे पत्र दिनांक 17 जून 2010 द्वारा सलाह दी गई थी कि 30 जून 2010 की विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर अपना प्रस्ताव दाखिल करे।

3.2. प्रतिसाद में, एबीजीकेसीटीएल ने पत्र दिनांक 9 जुलाई 2010 द्वारा, सूचित किया था कि वे प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहे हैं। यह उद्धरित करते हुए कि उसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा, उसने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा तीन महीने तक विस्तारित करने का अनुरोध किया था।

3.3. दरमान की वैधता नवम्बर 2010 में समाप्त होने पर विचार करते हुए, एबीजीकेसीटीएल को हमारे पत्र दिनांक 14 जुलाई 2010 द्वारा सलाह दी गई थी कि अपने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव सितम्बर 2010 के तीसरे सप्ताह तक दाखिल करे।

4. एबीजीकेसीटीएल ने पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2010 द्वारा यह दोहराया था कि दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तथा कुछ और समय लगेगा, इसलिए उसने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा छह महीने तक विस्तारित करने और मौजूदा दरमान की वैधता को छह माह तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

5. मौजूदा दरमान के विस्तार के लिए एबीजीकेसीटीएल द्वारा किया गया अनुरोध हमारे पत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2010 द्वारा भूस्वामी पत्तन (कांडला पत्तन न्यास) को उसपर मत व्यक्त करने के लिए अग्रेषित किया गया था। केपीटी ने एक अनुस्मारक के बावजूद अपना जवाब नहीं भेजा है।

6. आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2010 के अनुच्छेद 5 (i) (क) के अनुसार, प्रशुल्क की वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक प्रशुल्क प्रस्ताव समय पर दाखिल नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्यपूर्ण कारण न दिए जाएं। एबीजीकेसीटीएल को प्रशुल्क के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 30 जून 2010 तक दाखिल करना था। इसने अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए सितम्बर 2010 के तीसरे सप्ताह तक की समय सीमा विस्तारित करने के बाद भी अपना प्रस्ताव दाखिल नहीं किया था न ही प्रस्ताव दाखिल नहीं किए जाने के लिए उपयुक्त कारण बताए थे। तथापि, एबीजीकेसीटीएल ने मौजूदा दरमान की वैधता छह माह तक विस्तारित करने की माँग की है।

7.1. यह स्वीकार करते हुए कि दरमान की वैधता नवम्बर 2010 में समाप्त होगी, और एबीजीकेसीटीएल द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के निपटान के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए, इस प्राधिकरण ने एबीजीकेसीटीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को समाप्ति की तारीख से 31 मार्च 2011 तक अथवा संशोधित दरमान को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन विस्तारित करने का निर्णय लिया है कि निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में प्रारंभिक वैधता की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए स्वीकार्य लागत और अनुमत्त प्रतिलाभ, यदि कोई हो, से ऊपर अर्जित होने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त प्रतिलाभ का समायोजन किया जाएगा। एबीजीकेसीटीएल को यह सलाह दी जाती है कि दरमान के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव, आवश्यक विश्लेषण तथा समर्थक दस्तावेज़ों के साथ, 31 दिसम्बर 2010 तक दाखिल करें।

7.2. यदि विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर एबीजीकेसीटीएल द्वारा सम्पूर्ण प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जाता है तो एबीजीकेसीटीएल के परिचालन के लिए मौजूदा दरमान 10 प्रतिशत की सीधी कटौती के साथ 1 जनवरी 2011 से लागू किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा